

कार्यालय कलेक्टर, जिला झाबुआ (म.प्र.)

कमांक/ 1735 /नज़ारत/2021

झाबुआ, दिनांक 05/03/2021


वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा सूचना

झाबुआ जिले मे पदस्थ तहसील कार्यालयों (मेघनगर/पेटलावद/रानापुर) में कार्यरत तहसीलदारों के लिये वाहन की अधिकतम कीमत रूपये 6.50 लाख (Ex show room price) के अन्तर्गत महेन्द्रा बोलेरो वाहन के समकक्ष वाहन मासिक किराये पर लगाने हेतु एक वर्ष तक की अवधि के लिए इच्छुक निविदाकारों से खुली निविदाएं दिनांक 19.03.2021 को सांय 4.00 बजे तक निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत आमंत्रित की जाती हैं :-

1. वाहन परिवहन कार्यालय में टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य है ।
2. वाहन जिला मुख्यालय/तहसील मुख्यालय पर लिये जाएंगे तथा वाहनों का उपयोग जिले में शासकीय कार्य से भ्रमण के लिए किया जाएगा। वाहन 24 घन्टे उपयोगकर्ता अधिकारी के नियंत्रण में रहेगा।
3. मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिया जाएगा ।
4. दरें वाहन चालक तथा बिना वाहन चालक की पृथक-पृथक प्रस्तुत की जावें ।
5. यात्रा के दौरान दुर्गम स्थानों पर भी वाहन ले जाया जा सकेगा। वाहन के ड्रायवर का यह कर्तव्य होगा कि वह उपयोगकर्ता अधिकारी के आदेश का पालन करे।
6. किराये पर दिये जाने वाले वाहन का गॉडल वर्ष 2018, 2019, 2020 का होना चाहिये।
7. किराये की अवधि में वाहन में डीजल प्रदाय की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय की होगी।
8. वाहन के संधारण पर होने वाली टूट-फुट, बैटरी, टायर-ट्यूब आदि के व्यय की सम्पूर्ण जिम्मेदारी वाहन प्रदायकर्ता की होगी।
9. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में अच्छी स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारों पहियों के टायर-ट्यूब अच्छे होना चाहिए व माईलोमीटर हमेशा चालू हालत में होना अनिवार्य है। इसकी जिम्मेदारी वाहन प्रदाता की होगी।
10. वाहन प्रदाता यदि ड्रायवर उपलब्ध कराता है तो उसे हर समय कार्य करने के लिए तैयार रहने का आदेश आवश्यक है। अत्यावश्यक होने पर दूरभाष/मोबाईल पर सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वाहन संबंधित स्थान पर भिजवाना होगा ।
11. वाहन ड्रायवर के पास नियमानुसार वाहन चालन का वैध ड्रायविंग लायसेन्स होना आवश्यक है।
12. वाहन प्रदाता के ड्रायवर को वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन एवं ड्रायविंग लायसेन्स इत्यादि से संबंधित कागजात हमेशा वाहन में रखने आवश्यक होंगे । वाहन ऐवरा पेड एवं वाहन प्रदाता के स्वामित्व में रहना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर वाहन का स्वामी इसके लिए पूर्ण उत्तरदायी होगा तथा समस्त खर्च वहन करेगा ।
13. वाहन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद होने पर उसका निराकरण का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा एवं यदि कोई वैधानिक क्षतिपूर्ति न्यायालय द्वारा तय की जाती है तो उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन प्रदाता की होगी ।
14. रास्ते में वाहन खराब होने की स्थिति में उपयोगकर्ता अधिकारी को सामान्यतः दो घंटे में सुधार कराकर उपयोग हेतु वाहन उपलब्ध कराना होगा । दो घंटे से अधिक वाहन खराब रहने पर उस दिन का किराया नहीं दिया जावेगा । वाहन के खराब होने के स्थान से गैराज तक लाने का दायित्व वाहन प्रदाता का होगा ।
15. वाहन प्रदाता को मांग अनुसार वाहन प्रदाय करना अनिवार्य होगा । मांग अनुसार वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि कार्यालय द्वारा जप्त की जा सकेगी ।
16. वाहन चालक द्वारा संबंधित वाहन उपयोग करने वाले अधिकारी व वाहन प्रभारी से प्रतिदिन मीटर रीडिंग के अनुसार की गई यात्रा का प्रमाणीकरण लागबुक में कराना होगा। प्रमाणित लागबुक की प्रतिलिपि देयक के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

17. माईलो मीटर की गड़बड़ी अथवा अन्य किसी कारण से निर्धारित दूरी से अधिक दूरी दशमं जाने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा सड़क मार्ग को निर्धारित दूरी अनुसार मान्य किया जावेगा ।
18. वाहन के स्थानीय या मुख्यालय से बाहर उपयोग में न्युनतम दूरी का कोई भी बंधन नहीं रहेगा ।
19. निविदा जमा करते समय धरोहर राशि 5000/- (रूपये पांच हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर जिला झाबुआ के नाम से कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा निविदा मान्य नहीं की जावेगी ।
20. आवेदन में नाम एवं पता स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए ।
21. वाहन प्रदायकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्ति के उपरान्त मांग एवं आवश्यकतानुसार आदेशदाता अधिकारी के पास गय ड्रायवर के वाहन निर्धारित स्थान (कार्यालय) में भेजना होगा अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जावेगी ।
22. निविदा स्वीकार करने व अस्वीकार करने का अंतिम निर्णय कलेक्टर जिला झाबुआ का होगा । यह निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा ।
23. वाहन चालक का वेतन भत्ता एवं अन्य खर्च जिसमें वाहन चालक का दैनिक एवं अन्य यात्रा भत्ता भी शामिल हैं वाहन प्रदायकर्ता स्वयं व्यय करेंगे ।
24. वाहन को किसी भी समय हटाने का पूर्ण अधिकार आदेशकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा ।
25. वाहन आवश्यकता/मांग के अनुसार भ्रमण हेतु समय-समय पर किराये पर लिये जाएंगे तथा वाहनों को आवश्यकता/वार्षिक/मासिक किराये/माह में न्युनतम 20 अथवा 10 दिवस/दैनिक दर पर लिये जा सकते हैं ।
26. फर्म/मालिक के नाम से पंजीकृत वाहन की छायाप्रति निविदा के साथ लगाया जाना अनिवार्य होगा । सभी प्रकार के वाहन अल्प समय की सूचना पर उपलब्ध कराने में सक्षम हो ।
27. फर्म/मालिक के नाम से वाहन पंजीकृत होना अनिवार्य है । फर्म द्वारा किसी अन्य से अनुबंधित वाहन मान्य नहीं किया जाएगा ।
28. प्रत्येक निविदाकार को दो भागों में निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करना होगा । निविदा प्रपत्र के एक भाग में निविदा का तकनीकी पक्ष सम्मिलित होगा, जिसमें नियम एवं शर्तों को पूरा करने की जानकारी आवश्यक प्रमाण तथा संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे । जबकि प्रपत्र का दूसरा भाग प्रतिस्पर्धात्मक दसों से संबंधित होगा ।
29. तकनीकी निविदा से सभी शर्तों को पूरा करने पर ही प्रतिस्पर्धा हेतु पात्र पाये जाने की स्थिति में ही निविदाकार के वित्तीय प्रपत्र को निविदा समिति द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय पर खोला जायेगा । जिस निविदाकार के तकनीकी पक्ष में कमियाँ अथवा विरामितियाँ होंगी, उनके निविदा प्रपत्र के वित्तीय भाग को प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।
30. मान्य दरें आगामी एक वर्ष के लिये लागू होंगी ।
31. शासकीय कार्य से वाहन बाहर ले जाते समय यदि कोई टोल-टेक्सा पार्किंग का भुगतान किया जाता है तो भुगतान की रसीद मूलतः देयक के साथ प्रस्तुत करने पर वारतविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जायेगी ।
32. निविदाकर्ता वाहन मालिक को को अपना वाहन किराये से छुड़ाना है तो दो माह के पूर्व आवेदन कार्यालय को लिखित में प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उरस्रका दो माह का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
33. नियमों के अनुसार टी.डी.एस. की कटौती भुगतान के समय की जाएगी ।
34. वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी के कार्यालय/निवास स्थान पर रहेगा ।


(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)


अपर कलेक्टर, 2024
जिला झाबुआ (म.प्र.)

पृ.कमांक / 1736 / नज़ारत / 2021
प्रतिलिपि :-

झाबुआ, दिनांक 06 /03/2021

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, म.प्र.शासन, प्रथम तल सी सी बिल्डिंग, माध्यमिक शिक्षा मण्डल परिसर भोपाल की और सूचनार्थ ।
2. सचिव, म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की और सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, (विज्ञापन शाखा) जनसम्पर्क संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल की ओर निःपुल्क प्रचार-प्रसार हेतु समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ ।
4. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर की और सूचनार्थ ।
5. कलेक्टर, जिला..... समस्त (म.प्र.) की और सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार हेतु ।
6. सहायक संचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग झाबुआ की ओर भेजकर लेख हैं कि दैनिक समाचार पत्रों में प्रसारित करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. जिला सूचना अधिकारी, सूचना विज्ञान केन्द्र जिला-झाबुआ की ओर एन.आई.सी. की वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
8. तहसीलदार, तहसील रानापुर / झाबुआ / रामा / मेघनगर / थान्दला / पेटलावद की ओर प्रचार-प्रसार हेतु ।
9. जिला कार्यालय के नोटीस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।


अपर कलेक्टर, 2021
जिला झाबुआ (म.प्र.)